उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-131/2025/2919/30-3-2025-75जीई/2017(ई-1988485)
लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान बैण्ड-3, रू0 15600-39100 व ग्रेड वेतन रू0 5400/-) को नियमित चयनोपरान्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100 व ग्रेड वेतन रू0 6600/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)
1	2	3
1-	249	श्याम लाल राम
2-	260	शान्ति भूषण पाण्डेय
3-	264	धनबीर यादव
4-	280	हिमांशु जैन
5-	282	अरूण कुमार राय
6-	290	आलोक कुमार
7-	291	महेन्द्र प्रताप सिंह
8-	298	रामचन्द्र भारतीय
9-	300	बबिता वर्मा
10-	301	हेमचन्द्र गौतम
11-	303	नन्द कुमार
12-	305	राम प्रकाश मिश्रा

2- उक्त अधिकारीगण अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर यथावत कार्य करते रहेंगे।

ह0/-
के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 131/2025/2919(1)/30-3-2025, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0 लखनऊ।

(5) संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

(6) समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त उ0प्र0)

(7) संबंधित अधिकारी।

(8) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ0प्र0 के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(9) कार्मिक अनुभाग-1

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(नितिन कुमार गुप्त)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।